प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, डूंगरपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2022
प्र.इ.रि.स.....102/2022..... दिनांक 30/3/2022

2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें – धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018
(ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता –
(iii) अधिनियम – धारायें –
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या .....565..... समय.....3:45 PM
(ब) अपराध के घटने का दिन व समयः मंगलवार दिनांक 29.03.2022 समय 01.45 पीएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 27.03.2022

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित

5. घटना स्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 525 किलो मीटर
(ब) पता : पुलिस थाना रामसागडा जिला डूंगरपुर।
.....बीट संख्या .....जरायमदेही संख्या.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो, डूंगरपुर

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :
(अ) नाम : – श्री भूरालाल
(ब) पत्नी – श्री उदयलाल अंगारी
(स) जन्म तिथि/वर्ष – 28 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता : – भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या ..... –..... जारी होने की तिथि.....
जारी होने की जगह..... –.....
(र) व्यवसाय – मजदूरी
(छ) पता – गांव रेटा पुलिस थाना रामसागडा जिला डूंगरपुर वगैरा

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : श्री बाबूलाल डामोर पिता श्री हुरजी डामोर उम्र 59 वर्ष जाति मीणा निवासी गांव उखेडी पुलिस थाना पहाडा जिला उदयपुर हाल थानाधिकारी (पुलिस उप निरीक्षक) पुलिस थाना रामसागडा जिला डूंगरपुर।
8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देरी में का कारण : कोई विलम्ब नहीं

9. चुराई हुई/संलप्ति सम्पति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)

10. चुराई हुई सम्पति का कुल मूल्य : – 52000/– रूपये

11. मर्ग सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो :–

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (मजमून)– आरोपी श्री बाबूलाल डामोर हाल थानाधिकारी (पुलिस उप निरीक्षक) पुलिस थाना रामसागडा जिला डूंगरपुर द्वारा परिवादी श्री भूरालाल वगेरा 28 व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस थाना रामसागडा जिला डूंगरपुर पर दर्ज प्रकरण संख्या 51/2022 दिनांक 18.03.2022 जूर्म अन्तर्गत धारा 143, 341, 323, 336 की जांच आरोपी श्री बाबूलाल द्वारा की जाकर मामले को रफदफा करने के एवज में दिनांक 27.03.2022 को रिश्वत् मांग सत्यापन के दौरान 84000 रूपये रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर दिनांक 29.03.2022 को आरोपी श्री बाबूलाल डामोर को सहपरिवादी श्री शान्तिलाल से रिश्वत राशि 52000 रूपये लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं। आरोपी श्री बाबूलाल डामोर हाल थानाधिकारी (पुलिस उप निरीक्षक) पुलिस थाना रामसागडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 27.03.2022 समय 03.33 पीएम पर परिवादी श्री कन्हैयालाल डिण्डोर पिता नवलाजी डिण्डोर निवासी नोलियावाडा पुलिस थाना कुँआ जिला डूंगरपुर ने मोबाईल नं. 9001046326 से मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर अवगत कराया गया कि उसके परिचित श्री भूरालाल एवं राकेश निवासी रेटा वगैरा के विरूद्ध पुलिस थाना रामसागडा पर लडाई झगडे का मामला दर्ज होकर प्रकरण की जांच श्री बाबूलाल थानेदार साहब द्वारा की जा रही हैं। मामले को रफदफा करने के एवज में रिश्वत् की मांग श्री शान्तिलाल निवासी रेटा के माध्यम से की जा रही हैं। मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पास ब्यूरो इकाई डूंगरपुर का अतिरिक्त कार्यभार हैं, जिस पर परिवादी श्री कन्हैयालाल को हिदायत दी गई कि श्री भूरालाल, राकेश व श्री शान्तिलाल को ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो चौकी डूंगरपुर पर भेजे, जहां पर श्री लादूराम हैड कानि. उपस्थित मिलेंगे और परिवादी श्री कन्हैयालाल को ट्रेप कार्यवाही सत्यापन संबंधी मुनासिब हिदायत दी गई तथा मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष श्री लादूराम हेड कानि. को उपरोक्त तथ्य अवगत कराते हुए निर्देशित किया गया कि परिवादीगण के उपस्थित आने पर नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत् मांग सत्यापन कार्यवाही करें। समय 05.56 पीएम श्री लादूराम हेड कानि. ने जरिये दूरभाष मन् अति. पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि परिवादी श्री भूरालाल पिता उदयलाल, श्री राकेश पिता अमरा एवं श्री शान्तिलाल पिता रूपसी निवासी रेटा पुलिस थाना रामसागडा जिला डूंगरपुर उपस्थित ब्यूरो इकाई डूंगरपुर आये हैं। परिवादी श्री भूरालाल वगैरा द्वारा दिनांक 17.03.2022 को आपसी लडाई झगडे के मामले में दोनों पार्टियों ने पुलिस थाना रामसागडा पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं। जिसकी जांच थानाधिकारी श्री बाबूलाल द्वारा की जाकर मामले को रफादफा करने के लिए एक लाख रूपये की रिश्वत् मांगना तथा दिनांक 24.03.2022 को 5000 रूपये रिश्वत् राशि सहपरिवादी श्री शान्तिलाल के माध्यम से आरोपी श्री बाबूलाल द्वारा ग्रहण करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना बताया गया। श्री लादूराम हैड कानि. ने परिवादी श्री भूरालाल एवं शान्तिलाल से भी जरिये दूरभाष वार्ता कराई गई तो परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ताईद की गई। मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री लादूराम हैड कानि. को निर्देशित किया गया कि श्री वीर विक्रम सिंह कानि. को डिजिटल टेप रिकार्डर लेकर परिवादीगण के हमराह पुलिस थाना रामसागडा भेजकर नियमानुसार रिश्वत् मांग सत्यापन कार्यवाही करावें तथा श्री वीर विक्रम सिंह कानि. को भी जरिये दूरभाष मुनासिब हिदायत दी गई। समय 08.53 पीएम पर श्री वीर विक्रम सिंह कानि.ने जरिये दूरभाष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि परिवादी श्री शांतिलाल को डिजिटल टेप रिकोर्डर कर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु पुलिस थाना रामसागडा भेजा गया। परिवादी श्री शांतिलाल बाद सत्यापन कार्यवाही के पुलिस थाना से बाहर आकर डिजिटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द कर बताया कि आरोपी श्री बाबुलाल डामोर द्वारा परिवादी श्री भूरालाल वगैरा 28 व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस थाने में दर्ज मामले को थाने में ही रफादफा करने के एवज में प्रति व्यक्ति 3000 रूपये कुल 84000 रूपये रिश्वत् की मांग की गई हैं और रिश्वत् राशि लेकर परसू यानि दिनांक 29.03.2022 को बुलाया हैं। कानि. ने परिवादी श्री शान्तिलाल से भी वार्ता कराई तो परिवादी ने भी कानि. के कथनों की ताईद की गई। परिवादी को रिश्वत् राशि की व्यवस्था कर दिनांक 29.03.2022 को समय 09.00 एएम पर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर उपस्थित होने हेतु एवं श्री वीर विक्रम कानि. को ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पहुच डिजिटल टेप रिकार्डर को सुरक्षित मालखाने में रखने की मुनासिब हिदायत दी गई।

दिनांक 29.03.2022 समय 08.30 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक व ब्यूरो इकाई बांसवाडा ज़ाप्ता श्री राजेश कुमार कानि. व श्री लक्ष्मण सिंह क.स. मय सरकारी बोलोरो व चालक श्री जितेन्द्र सिंह के ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पहुंचे। श्री लादूराम हैड कानि. द्वारा परिवादी श्री भूरालाल वगैरा द्वारा दिनांक 27.03.2022 को आरोपी श्री बाबूलाल थानाधिकारी पुलिस थाना रामसागडा जिला डूंगरपुर द्वारा रिश्वत् मांगने का प्रार्थना पत्र मन् अति. पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया गया तथा बताया कि दिनांक 27.03.22 को परिवादीगण द्वारा ब्यूरो इकाई पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर निर्देशानुसार श्री वीर विक्रम सिंह कानि. को डिजिटल टेप रिकार्डर लेकर परिवादीगण के हमराह रिश्वत् मांग सत्यापन हेतु पुलिस थाना रामसागडा भेजा गया। श्री वीर विक्रम कानि. बाद सत्यापन ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर हाजिर आया डिजिटल टेप रिकार्डर को सुरक्षित मालखाने में रखा गया हैं। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो परिवादी द्वारा निम्नानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैः—

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
डूंगरपुर(राज.)

विषयः—रिश्वत् लेते हुए रंगे गिरफ़्तार करवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं भूरालाल पिता उदयलाल व राकेश पिता अमरा अंगारी निवासी रेटा पोस्ट रेटा पुलिस थाना रामसागडा तह. व जिला डूंगरपुर दिनांक 17.03.2022 को करीब 4 बजे रेटा बसस्टेण्ड पर मेरे भाई दिनेश पिता उदयलाल, मगन पिता उदयलाल अंगारी खडे थे इतने में कालू पिता जीवा, बंशी पिता रामजी, सोहन पिता रामजी, हाजा उर्फ हरीश पिता कालू, रामलाल पिता महिपाल अंगारी, लाला पिता नगीन पारगी व अन्य सभी निवासी रेटा हमराय होकर हाथों में लठ्ठ लेकर आये व हमारे दोनों भाईयों के साथ लठ्ठ से वार कर लहु लोहान कर फेक दिया व उसी दिन शाम 9 बजे करीब होली जलाने व खेलने गये उस वक्त भी हमारे से दुबारा लडाई झगडा कर लिया जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना रामसागडा में

दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज करवा दिये हैं। करीब 3–4 चार दिन बाद थानेदार गांव में आये व 28 जनों के खिलाफ पुलिस थाना रामसागडा में मुकदमा दर्ज करना बताया व थानेदार साहब श्री बाबूलालजी डामोर ने सभी मुलजिमों को दिनांक 24.03.2022 को थाने पर बुलाया गया जिस पर हम सभी व हमारे वरिष्ठ शान्तिलाल पिता रूपसी पारगी व अन्य ग्रामीण पुलिस थाने में उपस्थित हुए जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इन सभी को थाने में बिठा दिया उसी दिन शाम को घर ले जाने के लिए कहा गया तो थानेदार ने कहा 5000/–हजार रूपये दोगे तो मैं इनको अभी छोड दूंगा व सुबह वापस लेकर आना पडेगा जिस पर शान्तिलाल पारगी ने 5000/– हजार रूपये थानेदार साहब को देकर हम सभी को घर ले गये और दिनांक 25.03.22 को वापस थाने में गये तो थानेदार ने हमे तहसील डूंगरपुर में पेश किया जिस पर हमें जमानत पर छोडा गया व दिनांक 26.03.22 को शान्तिलाल पारगी के मोबाईल पर थानेदार साहब ने फोन कर कहा कि सभी 28 मुल्जिमों को थाने पर लेकर आ जाओ नहीं तो मैं उन सभी को गिरफ्तार कर ले जाउंगा। दिनांक 25.03.22 को जब भूरालाल व राकेश व हमारे परिवार के 16 ओर जनों को लेकर शान्तिलालजी थाने गये तब थानेदार साहब ने कहा कि इन 18 जनों व 10 औरतों के मामले को हल्का करने व जमानत थाने में ही करने के एक लाख रूपये रिश्वत् के मांगे थानेदार साहब ने धमकी दी हैं कि 1 लाख रूपये नहीं लाये तो सभी को गिरफ्तार कर लेंगे। थानेदार साहब ने रिश्वत् की मांग शान्तिलाल जी से ही की है तथा अब भी वे रिश्वत् की बात शान्तिलालजी ही करेंगे व रिश्वत् भी शान्तिलालजी ही लेंगे। हम शान्तिलालजी को साथ लाये हैं। हम थानेदार रामसागडा बाबूलालजी डामोर को रिश्वत् नहीं देना चाहते हैं व रिश्वत् लेते पकडवाने की कार्यवाही कराना चाहते हैं।

सही/–प्रार्थी,

1. भूरालाल पिता उदयलाल निवासी रेटा मो. नं. 9511534708
2. राकेश पिता अमरा निवासी रेटा
3. शान्तिलाल पिता रूपसी पारगी निवासी रेटा मो. नं. 869859424

उक्त प्रार्थना पत्र को शामील कार्यवाही किया गया। मालखाने से डिजिटल टेप रिकार्डर निकाल कर श्री वीर विक्रम कानि. द्वारा प्रस्तुत की गई। डिजिटल टेप रिकोर्डर को सुना गया तो आरोपी श्री बाबूलाल द्वारा रिश्वत् मांगने की पुष्टि हुई। कानि. श्री वीर विक्रम ने भी रिश्वत् मांग सत्यापन कार्यवाही बाबत् तथ्यों की ताईद की गई। प्रकरण में आईन्दा परिवादीगण के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेंगी। श्री लादूराम हैड कानि. ने बताया कि आपके निर्देशानुसार ट्रेप कार्यवाही हेतु आज दिनांक 29.03.22 को समय 9.00 एएम पर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर उपस्थित आने हेतु दो स्वतंत्र गवाहान को जरिये दूरभाष पर कल दिनांक 28.03.22 को पाबन्द किया जा चुका हैं। समय 09.00 एएम पर परिवादी श्री भूरालाल, राकेश एवं शान्तिलाल ब्यूरो इकाई डूंगरपुर उपस्थित आये और सहपरिवादी श्री शान्तिलाल ने बताया कि दिनांक 27.03.2022 को सायकाल एसीबी कार्यालय डूंगरपुर आकर श्री बाबूलाल थानेदार द्वारा श्री भूरालाल व राकेश वगैरा 28 जनों के विरूद्ध पुलिस थाना रामसागडा पर आपसी लडाई झगडा बाबत् दर्ज मामले में एक लाख रूपये रिश्वत् की मांग मेरे माध्यम से करना एवं दिनांक 24.03.22 को श्री बाबूलाल थानेदार साहब द्वारा 5000 रूपये रिश्वत् राशि ग्रहण करना तथा दिनांक 27.03.22 को रिश्वत् मांग सत्यापन के दौरान थानेदार साहब द्वारा प्रति व्यक्ति 3000 रूपये कुल 84000 रूपये रिश्वत् की मांग की गई हैं। पुलिस थाना रामसागडा पर रिश्वत् मांग वार्ता के समय थानेदार साहब ने 3000 गुणा 28 कितने होते हैं के बारे में जानकारी हेतु वहां पर उपस्थित किसी पुलिस कर्मी को बुलाया था जिसके द्वारा अपने मोबाईल से 3000 गुणा 28 कुल 84000 रूपये होते हैं के बारे थानेदार साहब को बताया था उस पुलिसकर्मी को इस रिश्वत् मांग लेनदेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवादीगण श्री भूरालाल एवं राकेश ने भी सहपरिवादी श्री शान्तिलाल के कथनों की ताईद की गई तथा भूरालाल एवं राकेश ने बताया कि अभी 52000 रूपये की रिश्वत् राशि की व्यवस्था हुई हैं, जो साथ लेकर आये हैं। सहपरिवादी श्री शान्तिलाल ने बताया कि अभी 52000 रूपये थानेदार साहब को दे दूंगा तो वह ले लेंगे। परिवादीगण को सुरक्षित कमरे में बैठाया गया। समय 09.30 एएम पर तलबिदाशुदा गवाह श्री प्रवीण कुमार पिता रामलाल अहारी निवासी गेस गोदाम के पास कुशाल मंगरी पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर हाल कनिष्ठ अभियंता लघु जल संसाधन उपखण्ड बिछीवाडा जिला डूंगरपुर एवं श्री भावेश यादव पिता श्री शंकर लाल यादव निवासी कुँआ तहसील चिखली जिला डूंगरपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी ब्लॉक डूंगरपुर जिला डूंगरपुर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित आये। समय 09.45 एएम पर स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीण कुमार एवं श्री भावेश यादव को ट्रेप कार्यवाही में सम्मिलित होने बाबत् अपने मनतव्य से अवगत कराया तो दोनों ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह के रुप में उपस्थित रहने हेतु अपनी–अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। परिवादीगण को तलब कर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादीगण श्री भूरालाल, राकेश एवं शान्तिलाल का आपस में पंरिचय करवाया गया तथा दिनांक 27.03.2022 को परिवादीगण द्वारा पेश रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादीगण ने शब्द व शब्द सही होना स्वीकार किया। परिवादीगण की प्रस्तुत रिपोर्ट पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.10 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में दिनांक 27.03.2022 को परिवादी श्री शान्तिलाल व आरोपी श्री बाबूलाल डामोर के बीच हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड हैं को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा मूल एवं डब सीडीयां तैयार कराई गई। मूल सीडी को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुना जाकर श्री धीरेन्द्र सिंह कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को एक कपडे की थैली में डालकर थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर सीडी को नियमानुसार सील्ड की गई। समय 11.20 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के द्वारा आरोपी श्री बाबूलाल डामोर थानाधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि परिवादी श्री भूरालाल से मांगने

पर उसने अपने पास से गवाहों के समक्ष 2000–2000 रूपये के 05 नोट व 500–500 के 84 नोट कुल 52,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर पेश किये, उन नोटो के नम्बर निम्नानुसार हैं:–

1	एक नोट 2000 रूपये का नम्बर	5EH 791399
2	एक नोट 2000 रूपये का नम्बर	6MQ 737981
3	एक नोट 2000 रूपये का नम्बर	0CK 649216
4	एक नोट 2000 रूपये का नम्बर	7EN 531491
5	एक नोट 2000 रूपये का नम्बर	0FD 831676
6	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	8WH 405063
7	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	6VM 091270
8	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	5AF 521768
9	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	8BB 369663
10	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	8AW 502529
11	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	5RR 738058
12	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	0VT 418091
13	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	2TE 108145
14	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	9TQ 755885
15	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	3MR 868479
16	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	5FB 380820
17	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	4HC 669880
18	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	4QG 779815
19	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	8CQ 010174
20	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	9MD 763767
21	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	0DN 570464
22	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	6BK 739429
23	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	8WK 497983
24	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	2NM 054527
25	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	1AS 907322
26	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	2NA 374086
27	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	7GF 881223
28	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	4FB 225886
29	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	1WV 580383
30	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	7NG 073448
31	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	4MK 566315
32	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	7EH 106595
33	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	2TK 412764
34	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	8KG 225311
35	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	4EK 157668

36	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	0CP 942330
37	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	3AL 896014
38	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	9GK 481196
39	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	1PT 882662
40	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	8FS 157189
41	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	8SG 424386
42	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	3UH 801948
43	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	7GB 227183
44	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	9SV 781827
45	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	0SW 665088
46	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	6MA 818106
47	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	4CF 681890
48	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	4BV 730829
49	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	0EV 893638
50	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	6AN 714508
51	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	0FS 780672
52	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	2AD 663315
53	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	7GP 937700
54	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	7CQ 630613
55	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	4WK 786306
56	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	9PD 400849
57	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	3AD 092811
58	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	3AB 841529
59	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	4CU 733848
60	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	4CU 733849
61	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	4CU 733850
62	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	4CU 890381
63	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	4CU 890382
64	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	4CU 890383
65	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	2AS 579284
66	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	8TF 553666
67	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	1AM 616990
68	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	6BB 288495
69	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	6BB 288496
70	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	1BS 584873
71	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	6BB 249701

72	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	6BB 249702
73	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	6BB 249703
74	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	3UK 598262
75	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	0CT 144199
76	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	6BE 141595
77	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	8CG 719093
78	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	8BT 566463
79	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	9CQ 286595
80	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	2GN 119285
81	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	2FV 917774
82	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	3NN 909711
83	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	8MC 602874
84	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	7RA 295687
85	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	0AV 765453
86	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	3EB 491226
87	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	3CT 736472
88	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	1GP 739739
89	एक नोट 500 रूपये का नम्बर	5QH 392440

परिवादी श्री भूरालाल द्वारा प्रस्तुत नोटों पर श्री लादूराम हैड कानि. से कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखी फिनॉफ्थेलीन पाउडर की शीशी निकलवायी जाकर श्री लादूराम हैड कानि. से रिश्वत राशि 52,000 रूपये के नोटों पर दोनो ओर फिनॉफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया। आरोपी श्री बाबूलाल द्वारा रिश्वत् राशि सह परिवादी श्री शान्तिलाल के माध्यम से ग्रहण करने पर रिश्वत् राशि उक्त नोटों को सहपरिवादी श्री शान्तिलाल के पहने हुए कुर्ते की दाहिनी जेब में कोई शेः नहीं छोडते हुए रखवाये जाकर श्री धीरेन्द्र सिंह कानि. से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला। इस रंगहीन घोल में श्री लादूराम हैड कानि. की अंगुलियों व अंगूठे जिन पर फिनॉफ्थेलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादियों तथा दोनो स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष फिनॉफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनॉफ्थेलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगूठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों व अंगूठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को मालखाने में रखवाई गई व श्री लादूराम हैड कानि के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। उक्त गुलाबी घोल को श्री धीरेन्द्र सिंह कानि. से बाहर फिकवाकर जाकर उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये जाकर तथा धीरेन्द्र सिंह कानि. के दोनो हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। सहपरिवादी श्री शान्तिलाल को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। सहपरिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि ग्रहण करने के तुरंत बाद सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर ईशारा करने की हिदायत दी गई। यह ईशारा स्वतंत्र गवाह व ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, नये गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री धीरेन्द्र सिंह कानि. से साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिवादियों व गवाहों का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात् परिवादीगण, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। समय 12.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सहपरिवादी श्री

शान्तिलाल को आरोपी श्री बाबूलाल डामोर को दी जाने वाली रिश्वत राशि लेन–देन वक्त होने वाली वार्ता को रिकोर्ड करने हेतु मिनी डिजीटल टेप रिकोर्डर उसके संचालन की विधि समझायी जाकर जरिये फर्द सुपूर्द किया गया। समय 12.20 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक व स्वतंत्र गवाहान श्री प्रवीण कुमार, श्री भावेश यादव, ब्यूरो जाप्ता श्री धीरेन्द्र सिंह कानि., श्री नारायण लाल स.प्र.अ., मय ट्रेप बाक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक व श्री राजेश कानि. व श्री लक्ष्मण सिंह क.स. एवं श्री वीर विक्रम सिंह कानि. व श्री जितेन्द्र सिंह कानि चालक निजी मोटरसाईकिलों पर तथा परिवादीगण श्री भूरालाल, श्री राकेश व श्री शान्तिलाल निजी मोटरसाईकिल से ब्यूरों इकाई डूंगरपुर से पुलिस थाना रामसागडा जिला डूंगरपुर के लिये रवाना हुआ। हैड कानि. श्री लादूराम को कार्यालय में मुनासिब हिदायत देकर छोडा गया। समय 12.50 पीएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता व परिवादीगण के अपने–अपने वाहनों से ब्यूरो इकाई डूंगरपुर से रवानाशुदा पुलिस थाना रामसागडा के पास पहुंच वाहनों को रोड के साईड में खडा कर परिवादीगण श्री शान्तिलाल, भूरालाल एवं राकेश को मुनासिब हिदायत मय टेप रिकार्डर के पुलिस थाना रामसागडा हेतु रवाना कर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के पुलिस थाना के आस पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के इशारे के इन्तजार में मुकिम रहे। समय 01.45 पीएम पर सहपरिवादी श्री शान्तिलाल द्वारा पुलिस थाना रामसागडा के मुख्य द्वार के सामने रामसागडा–गैंजी जाने वाली रोड पर खडे होकर आरोपी द्वारा रिश्वत् राशि ग्रहण करने बाबत् मुकर्रर ईशारा करने पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ते के सहपरिवादी श्री शान्तिलाल व परिवादी भूरालाल व राकेश के पास पहुचे तो शान्तिलाल ने डिजिटल टेप रिकार्डर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जिस बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा श्री शान्तिलाल ने बताया कि श्री बाबूलाल साहब द्वारा रिश्वत् राशि 52000 रूपये को उनके कार्यालय कक्ष में टेबल के दराज में पडे कागजों पर रखवाये हैं और रिश्वत् राशि रखवाने के बाद हम लोगों बातचीत करते हुए उनके कार्यालय कक्ष से बाहर आये। परिवादीगण श्री शान्तिलाल, भूरालाल और राकेश को हमराह लेकर स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता पुलिस थाने में प्रवेश किया तो थानाधिकारी के कार्यालय कक्ष के पास में स्थित बाल मित्र कक्ष में एक खाट पर सोये हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर श्री शान्तिलाल ने बताया कि यही श्री बाबूलाल थानेदार साहब हैं। मन् अति. पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता व परिवादीगण के उस व्यक्ति के पास पहुच कर उठाया और मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना स्वयं व हमराहियानों का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बाबूलाल डामोर पिता श्री हुरजी डामोर उम्र 59 वर्ष जाति मीणा निवासी गांव उखेडी पुलिस थाना पहाडा जिला उदयपुर हाल थानाधिकारी (पुलिस उप निरीक्षक) पुलिस थाना रामसागडा जिला डूंगरपुर होना बताया। इसी दौरान परिवादी श्री शान्तिलाल ने बताया कि मैने थाने में आने से पूर्व अपने मोबाईल से बाबूलालजी के मोबाईल पर फोन किया तो उन्होने थोडी देर में थाने पर आने को कहा, फिर अपने सरकारी निवास से थाने पर आये और थाने के मुख्य द्वार पर किसी अन्य व्यक्ति से वार्तालाप की और फिर मैं, बाबूलालजी थानेदार साहब व श्री भूरालाल व राकेश मुख्य द्वार से रवाना होकर थाने के अन्दर इनके कार्यालय कक्ष में पहुंचे जहां पर श्री बाबूलालजी थानेदार साहब ने अभी–अभी इनके कार्यालय कक्ष में ही रिश्वत् राशि 52000 रूपये इनके हाथों से नहीं ग्रहण कर मुझसे इनके बेठने की टेबल दाहिनी उपरी दराज में पडे कागजों के उपर रखवाई हैं, जो मैने इनके कहे अनुसार रिश्वत् राशि टेबल की दराज में रखी हैं। मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री बाबूलाल से अभी–अभी परिवादी श्री शान्तिलाल से 52000 रूपये रिश्वत् ग्रहण करने बाबत् पूछा तो श्री बाबूलाल ने कहा कि मैने शान्तिलाल से कोई रिश्वत् राशि ग्रहण नहीं की गई हैं और ना ही अभी अपने कार्यालय कक्ष में गया था और कहा कि दो–तीन दिन से शान्तिलाल व अन्य लोग किसी लडाई झगडे मामले में समझोता हेतु थाने पर आये थे तब मैंने उनको वकील की फिस के बारे में बातचीत की थी। मौके पर उपस्थित परिवादी श्री शान्तिलाल ने कहा कि बाबूलालजी थानेदार साहब झूठ बोल रहे हैं। इनके द्वारा श्री भूरालाल पिता उदयलाल वगैरा निवासी रेटा के विरूद्ध दर्ज पुलिस थाना रामसागडा पर दर्ज मामले के संबंध में दिनांक 24.03.2022 को थाने पर हम सभी आये थे तो थानेदार साहब ने मामले को रफादफा करने के लिए 100000 रूपये रिश्वत् राशि की मांग करते हुए 5000 रूपये रिश्वत् ले लिये थे तथा दिनांक 27.03.2022 को रिश्वत् मांग सत्यापन के दौरान थानेदार साहब ने प्रति व्यक्ति 3000 रूपये कुल 28 व्यक्तियों के खिलाफ मामले को रफदफा करने हेतु कुल 84000 रूपये रिश्वत् की मांग की गई थी तथा आज उनकी मांग अनुसार ही 52000 रूपये रिश्वत् इनको दिये हैं। जिस पर श्री बाबूलाल ने पूर्व में बताये तथ्य ही बताये तब परिवादी ने कहा कि थानेदार साहब झूठ बोल रहे हैं। इनके द्वारा रिश्वत् की मांग की हैं व आज उन्होने ही टेबल की दराज में रिश्वत् राशि रखने का कहा जो बात मैने रिकार्डर रिकार्ड की हैं। मन् अति. पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र गवाहान परिवादीगण, ब्यूरो जाप्ता व श्री बाबूलाल को हमराह लेकर थानाधिकारी के कार्यालय कक्ष में पहुचे जहां पर स्वतंत्र गवाह श्री भावेश से कार्यालय कक्ष में पडे टेबल की उपरी दाहिनी दराज को खुलवाया गया तो दराज में उपर कागजों पर रिश्वत् राशि दिखाई नहीं दी जिस पर उक्त दराज की तलाशी लिवाई गई तो दराज में रखे कागजों के बिच 2000–2000 रूपये व 500–500 रूपये के सीमटे हुए नोट दिखाई दिये उन नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री भावेश से उठवाये जाकर दोनों गवाहान से गिनवाये गये तो 2000–2000 रूपये के 5 नोट व 500–500 रूपये के 84 नोट कुल 52000 रूपये पाये गये। उन नोटों को दोनों गवाहानों से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान कराया गया तो हुबहु हुआ। रिश्वत् राशि को गवाह श्री भावेश के पास सुरक्षित रखवाई गई। परिवादी ने मौके पर कहा कि मैने रिश्वत् राशि थानेदार साहब श्री बाबूलालजी के कहे अनुसार टेबल की दराज में पडे कागजों के उपर रखे थें। लेकिन इनके द्वारा मेरे व भूरालाल एवं राकेश के बाहर निकलने पर रिश्वत् राशि को दराज में पडे कागजों के बिच में रख दिये हैं। मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शान्तिलाल द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के संबंध में आरोपी श्री बाबूलाल से पूछा तो उन्होने बताया कि यह

बात गलत बोल रहा हैं। परिवादी ने जोर से अपनी बात कही तो श्री बाबूलाल ने कोई जवाब नहीं दिया व इतना कहा कि वह निर्दोष हैं और कुछ नहीं बोले। श्री बाबूलाल ने इस रिश्वत् राशि में से डिप्टी साहब को राशि देने का पूछा व डिप्टी साहब से वार्ता का कहा तो श्री बाबूलाल ने कहा कि डिप्टी साहब ने इस प्रकरण में कोई राशि की मांग नहीं की हैं तथा इन्हे इसमें से कोई राशि नहीं देनी थी न ही उसे स्वयं के लिए राशि लेनी थी। श्री बाबूलाल ने कहा कि डिप्टी साहब से इस बारे में कभी कोई बात नहीं हुई हैं। उनका कोई मतलब नहीं हैं। इस कारण उनसे वार्ता नहीं करूंगा। प्राईवेट वाहन में रखे ट्रेप बॉक्स को कानि. श्री वीर विक्रम सिंह से मंगवाया गया। तत्पश्चात् ट्रेप बाक्स में से दो कांच के गिलास निकाले जाकर श्री वीर विक्रम कानि. से साफ पानी से धुलवाये जाकर पुलिस थाना रामसागडा में प्रयुक्त पीने का साफ पानी मंगवाकर आधा से उपर तक पानी दोनो गिलासों में अलग अलग डलवाया गया, उक्त पानी के गिलासों में एक -- एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया, घोल का रंग नहीं बदला। गवाहान ने भी घोल का रंग अपरिवर्तित बताया तब एक कांच के गिलास के रंगहीन घोल में श्री बाबूलाल. के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबाया तो घोल का रंग हल्का मटमेला हो गया। उक्त घोल को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा–आधा भरकर सिलचिट्ठ कर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित किया। उसके बाद कपडे व चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी तरह दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में श्री बाबूलाल के बाये हांथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबाया तो घोल का रंग हल्का मटमेला हो गया। घोल को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा आधा भरकर सिलचिट्ठ कर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित किया । तत्पश्चात् कपडे व चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। बरामद रिश्वत् राशि 52000 रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री भावेश से प्राप्त किये जाकर रिश्वती राशि पर एक कागज की चिट लगवाई जाकर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिये गये। प्रकरण में ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वती राशि 52000 रूपये आरोपी श्री बाबूलाल थानाधिकारी के कार्यालय में रखे टेबल की दाहिनी उपरी दराज में रखे एक रंगीन कागज जो श्री रमेश विभाग थाना रामसागडा के नाम दिनांक 30.01.2019 को अध्यक्ष व्यापार मण्डल गामडी अहाडा द्वारा जारी प्रशंसा पत्र हैं एवं एक लीगल सफेद खाली कागज के बिच में बरामद हुई हैं। उक्त कागजों का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से ट्रेप बॉक्स में रखे साफ एक कॉच के गिलास को निकलवाकर उसे साफ पानी धुलवाया जाकर गिलास में पुलिस थाना रामसागडा के पिने के प्रयुक्त पानी को मंगवाया जाकर गिलास को आधे से उपर भरा जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डाला गया तो घोल का रंग नहीं बदला। एक सफेद रूई के टुकडे को साफ पानी में भीगो कर बरामद रिश्वत् राशि उक्त दोनों कागजों के उपर घुमाया जाकर रूई के टुकडे को सोडियम कार्बोनेट के घोल के गिलास में डुबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिस घोल को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा आधा भरकर सिलचिट्ठ कर मार्क P-1 व P-2 अंकित किया । तत्पश्चात् कपडे व चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दोनों कागजों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामील कार्यवाही किये गये। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री बाबूलाल से परिवादी श्री भूरालाल पिता उदयलाल निवासी रेटा पुलिस थाना रामसागडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध दर्ज परिवाद/प्रकरण से संबंधित दस्तावेज चाहे गये तो श्री बाबूलाल द्वारा कार्यालय कक्ष में टेबल के उपर पडी पत्रावली पेश कर बताया कि प्रार्थी श्री सोहन पिता रामजी खराडी निवासी रेटा थाना रामसागडा द्वारा दिनांक 18.03.22 को अभियुक्त श्री लालशंकर पिता उदयलाल वगैरा कुल 28 के विरूद्व प्रकरण संख्या 51/2022 दिनांक 18.03.2022 जुर्म अन्तर्गत धारा 143,341,323,336 में दर्ज किया जाकर प्रकरण अनुसंधान मेरे स्वंय के जिम्मे लिया गया जिसका अनुसंधान अभी जारी हैं। मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण संख्या 51/2022 की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो प्रकरण में केवल केश डायरी संख्या 1 दिनांक 18.03.2022 प्राप्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की कटी होकर अनुंसधान अधिकारी श्री बाबूलाल के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। प्रकरण में गवाहानों के मुचलके भरे होकर आधार कार्ड की छायाप्रतियॉ प्राप्त की हुई हैं तथा प्रकरण से संबंधित व्यक्तियों चोट प्रतिवेदन प्राप्त किये हुए हैं। इसके अलावा प्रकरण में किसी प्रकार का अनुसंधान नहीं किया गया हैं। थाने पर उपस्थित श्री धुलजी हैड कानि. नं. 487 को मूल पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु सम्भलवाई जाकर पत्रावली की प्रमाणित प्रति हेड कानि श्री धुलजी से प्राप्त कर शामील कार्यवाही की गई। ट्रेप कार्यवाही के सम्पूर्ण हालात उच्चाधिकारियों को जरिये दूरभाष अर्ज किये गये। समय 04.30 पीएम पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 4.45 पीएम पर आरोपी श्री बाबूलाल मूल निवासी गांव उखेडी पुलिस थाना पहाडा जिला उदयपुर का रहने वाला हैं, जिसके निवास स्थान की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियों को हालात अर्ज किये गये। आरोपी श्री बाबूलाल थाना परिसर में स्थित सरकारी आवास पर अकेला रहता हैं, जिसकी नियमानुसार खाना तलाशी ली जानी आवश्यक होने से मन् अति. पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान व आरोपी श्री बाबूलाल डामोर तथा ब्यूरो जाप्ता के सरकारी आवास पर पहुच नियमानुसार खानातलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी मुर्तिब कर शामील कार्यवाही की गई। मौके पर अग्रिम कार्यवाही की जानी हैं, परन्तु पुलिस थाना रामसागडा ग्रामीण क्षेत्र में होकर बिजली की असुविधा एवं सायकाल का समय को देखते हुए अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पहुंच कर किया जाना उचित रहेगा। समय 05.45 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान श्री प्रवीण कुमार, श्री भावेश यादव, ब्यूरो जाप्ता श्री राजेश कुमार कानि., श्री वीर विक्रम कानि., श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक, श्री धीरेन्द्र सिंह कानि., श्री लक्ष्मण सिंह क.स., श्री नारायण लाल स.प्र.अ. मय आरोपी श्री बाबूलाल डामोर व परिवादीगण श्री शान्तिलाल, भूरालाल एवं राकेश व जप्त शुदा रिश्वत राशि 52000 रूपये, आरोपी के दोनों हाथों का धोवन मार्क क्रमश आर. एच.–1 व 2, एल.एच.–1 व 2 तथा बरामद रिश्वत राशि के कागजों का धोवन पी–1 व पी–2 मय ट्रेप बॉक्स व लेपटोप प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक एवं निजी मोटरसाईकिलों से पुलिस थाना रामसागडा से ब्यूरो ईकाई डूंगरपुर के रवाना हुआ। समय 6.15 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र

गवाहान श्री प्रवीण कुमार, श्री भावेश यादव, ब्यूरो जाप्ता श्री राजेश कुमार कानि., श्री वीर विक्रम कानि., श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक, श्री धीरेन्द्र सिंह कानि., श्री लक्ष्मण सिंह क.स., श्री नारायण लाल स.प्र.अ. मय आरोपी श्री बाबूलाल डामोर व परिवादीगण श्री शान्तिलाल, भूरालाल एवं राकेश व जप्त शुदा रिश्वत राशि 52000 रूपये, आरोपी के दोनों हाथों का धोवन मार्क क्रमश आर.एच.–1 व 2, एल.एच.–1 व 2 तथा बरामद रिश्वत राशि के कागजों का धोवन पी–1 व पी–2 मय ट्रेप बॉक्स व लेपटोप प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक एवं निजी मोटरसाईकिलों से पुलिस थाना रामसागडा रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचा। समय 06.30 पीएम पर दिनांक 29.03.2022 को परिवादी श्री शान्तिलाल व आरोपी श्री बाबूलाल डामोर के बीच हुई रिश्वत लेनदेन वार्तालाप टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड हैं को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा मूल एवं डब सीडीयां तैयार कराई गई। मूल सीडी को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुना जाकर श्री धीरेन्द्र सिंह कानि0 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को एक कपडे की थैली में डालकर थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर सीडी को नियमानुसार सील्ड की गई। समय 08.15 पीएम पर आरोपी श्री बाबूलाल डामोर थानाधिकारी (उप निरीक्षक पुलिस) पुलिस थाना रामसागडा जिला डूंगरपुर को प्रकरण में ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वत् मांग एवं लेनदेन वार्ता रिकार्ड किया जाने से उसकी आवाज के नमूना हेतु लिखित में तहरीर जारी की गई तो आरोपी श्री बाबूलाल द्वारा अपने आवाज का नमूना नहीं देने बाबत् तहरीर पर ही लिखित में मना किया। उक्त तहरीर को शामील कार्यवाही किया गया। समय 08.30 एएम पर आरोपी श्री बाबूलाल डामोर थानाधिकारी (उप निरीक्षक पुलिस) पुलिस थाना रामसागडा जिला डूंगरपुर को जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 08.45 पीएम पर प्रकरण में जप्त शुदा रिश्वत राशि 52000 रूपये, आरोपी श्री बाबूलाल के दोनों हाथों का धोवन मार्क क्रमश आर.एच.–1 व 2, एल.एच.–1 व 2 तथा बरामद रिश्वत राशि के कागजों का धोवन पी–1 व पी–2 रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं लेनदेन वार्ता की मूल सीडी एवं डब सीडी इत्यादि को मालखाने के रजिस्टर में इन्द्राज कराया जाकर श्री वीर विक्रम सिंह कानि. कार्यवाहक मालखाना प्रभारी को सुपूर्द कर जमा मालखाना कराया गया।

प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द रिश्वत लेन–देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री बाबुलाल डामोर, थानाधिकारी (पुलिस उप निरीक्षक) पुलिस थाना रामसागडा जिला डूंगरपुर द्वारा परिवादी श्री भुरालाल वगैरा 28 व्यक्तियों के विरूद्व पुलिस थाना रामगवाडा जिला डूंगरपुर दर्ज प्रकरण संख्या 51/22 दिनांक 18.03.2022 जुर्म अन्तर्गत धारा 143,341,323,336 की जांच आरोपी श्री बाबुलाल द्वारा की जाकर मामले को रफा–दफा करने के एवज में दिनांक 27.03.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री बाबुलाल डामोर द्वारा सहपरिवादी श्री शांतिलाल के माध्यम से प्रति व्यक्ति 3000 रूपये के हिसाब से कुल 84000 रूपये रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर दिनांक 29.03.2022 को आरोपी श्री बाबुलाल डामोर को सहपरिवादी श्री शांतिलाल से रिश्वत राशि 52,000 रूपये लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं। आरोपी श्री बाबुलाल डामोर, थानाधिकारी (पुलिस उप निरीक्षक) पुलिस थाना रामसागडा जिला डूंगरपुर के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

अतः श्री बाबूलाल डामोर पिता श्री हुरजी डामोर उम्र 59 वर्ष जाति मीणा निवासी गांव उखेडी पुलिस थाना पहाडा जिला उदयपुर हाल थानाधिकारी (पुलिस उप निरीक्षक) पुलिस थाना रामसागडा जिला डूंगरपुर के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं।

भवदीय,

(माधोसिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री बाबूलाल डामोर, थानाधिकारी (पुलिस उप निरीक्षक) पुलिस थाना रामसागडा, जिला डूंगरपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 102/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30/3/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 902-06 दिनांक 30.3.2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज, उदयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।